राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(17)एमई / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिनांक : 08 JUL 2016

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम–5 के अन्तर्गत शिशु औषध विशिष्ठता के चिकित्सक शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 24.9.2014 को आयोजित की गई थी। डॉ. मोहन मकवाना, सह आचार्य, शिशु औषध डीएसीपी स्कीम के तहत पात्रता अनुसार दिनांक 01.4.2014 से आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र थे परन्तु कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(56)कार्मिक / क–3 / 2011 दिनांक 19.10.2012 के द्वारा डॉ. मकवाना की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उनको डीएसीपी स्कीम के तहत दिनांक 01.4.2014 से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 21.9.2015 को आयोजित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कमेटी द्वारा उक्त दण्डादेश के परिणामस्वरूप डॉ. मकवाना को दिनांक 01.4.2015 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की अनुशंषा की गई। कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(2)(2)कार्मिक / क–3 / जांच / 2013 दिनांक 29.10.2015 के द्वारा डॉ. मकवाना के विरूद्ध प्रश्नगत दण्डादेश को अपास्त करने के आदेश जारी किये गये है।

कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग के उक्त आदेश दिनांक 29.10.2015 के सन्दर्भ में डीएसीपी स्कीम के संबंधित नियमों के तहत शिशु औषध विशिष्ठता की दिनांक 24.9.2014 एवं 21.9.2015 को आयोजित डीएसीपी स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक की अनुशंषाओं को डॉ. मोहन मकवाना, आचार्य के प्रकरण में रिव्यू किया गया। रिव्यू स्क्रिनिंग कमेटी की अनुशंषा पर बैठक दिनांक 21.9.2015 की अनुशंषाओं में से डॉ. मोहन मकवाना, सह आचार्य के संबंध में उन्हें दिनांक 01.4.2015 से आचार्य पद पर पदोन्नति की गई अनुशंषा को निरस्त कर, उसमें से डॉ. मकवाना का नाम विलोपित किया जाता है एवं डॉ. मकवाना की पात्रता अनुसार डीएसीपी स्कीम के तहत उनको दिनांक 01.4.2014 से एतद्द्वारा आचार्य, शिशु औषध के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है।

आदेश से,

(डी.एल. तवंर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज.,जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज.,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव